[भारत के राजपत्र, असाधारण भाग 2, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार
वस्त्र मंत्रालय
विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय

<u>अधिसूचना</u>

नई दिल्ली, तारीख: , 2017

का.आ.....(अ)- सेवाओं या फायदों या सहायिकियों के परिदान के लिए एक पहचान दस्तावेज के रूप में आधार का उपयोग सरकारी परिदान प्रक्रियाओं का सरलीकरण करता है, पारदर्शिता और दक्षता लाता है और फायदाग्राहियों को सुविधापूर्वक और निर्बाध रीति में उनकी हकदारियों को सीधे प्राप्त करने में समर्थ बनाता है और आधार किसी व्यक्ति की पहचान को साबित करने के लिए विभिन्न दस्तावेज प्रस्तुत करने की आवश्यकता को समाप्त करता है;

और विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय (जिसे इसमें इसके पश्चात् विभाग कहा गया है), भारत सरकार में वस्त्र मंत्रालय राष्ट्रीय हथकरघा विकास कार्यक्रम (एनएचडीपी) और व्यापक हथकरघा क्लस्टर विकास योजना (सीएचसीडीएस) (जिसे इसमें इसके पश्चात् स्कीम कहा गया है) कार्यान्वित कर रहा है; स्कीम का प्रयोजन समग्र रूप से हथकरघा का विकास करना है।

और स्कीम के अधीन शिक्षावृत्ति, मानदेय, डिजाइनर फीस, यात्रा भत्ता, मंहगाई भत्ता, अन्य कल्याणकारी फायदों के रूप में वित्तीय सहायता और करघों, करघों के हिस्सों तथा सहायक उपकरणों (वस्तु के रूप में) के वितरण, प्रशिक्षण, कार्यशाला, सेमिनार, विपणन आयोजन और क्रेता-विक्रेता बैठक (जिसे इसमें इसके पश्चात् फायदा कहा गया है) के लिए हथकरघा बुनकरों और संबद्ध कामगारों (जिसे इसमें इसके पश्चात् व्यक्तिक फायदा कहा गया है) को प्रदान किए जाते हैं तथा डिजाइनरों, विशेषज्ञों, फैकल्टी, प्रशिक्षकों और संविदा पर ली गई श्रमशक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् सुविधा प्रदाता कहा गया है) तथा व्यष्टिक फायदाग्राही और सुविधाप्रदाता, दोनों को स्कीम के अधीन सामूहिक रूप से फायदाग्राही कहा जाएगा।

और स्कीम पर समूचे देश में विभाग के फील्ड कार्यालयों और आंचलिक कार्यालयों के माध्यम से मानीटरी की जाती है और इनका कार्यान्वयन, स्कीम के अधीन यथा परिभाषित एजेंसियों (जिसे इसमें इसके पश्चात् कार्यान्वयन एजेंसी कहा गया है) के माध्यम से किया जाता है।

और पूर्वोक्त स्कीम में भारत की संचित निधि से उपगत आवर्ती व्यय अंतर्वलित है।

अत: अब, केन्द्रीय सरकार, आधार (वित्तीय और अन्य सहायिकियों, प्रसुविधाओं और सेवाओं का लक्ष्यित परिदान अधिनियम, 2016 (2016 का 18) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 7 के उपबंधों के अनुसरण में, निम्नलिखित को अधिसूचित करती है, अर्थात् :-

1. (1) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के पात्र व्यष्टि से यह अपेक्षित है कि वह आधार रखने का सबूत प्रस्तुत करे या आधार का अधिप्रमाणन पूर्ण करें।

(2) स्कीम के अधीन फायदा प्राप्त करने के इच्छुक ऐसे व्यष्टि को, जिसके पास आधार संख्यांक नहीं है या जिसने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है, 31 मार्च, 2017 तक आधार नामांकन के लिए आवेदन करना होगा, यदि वह उक्त अधिनियम की धारा 3 के उपबंधों के अनुसार आधार प्राप्त करने के लिए हकदार हो और ऐसे व्यष्टि आधार नामांकन के लिए किसी आधार नामांकन केन्द्र (सूची यूआईडीएआई की वेबसाइट www.uidai.gov.in पर उपलब्ध है) जा सकते हैं।

(3) आधार (नामांकन और अद्यतन) विनियम, 2016 के विनियम 12 के अनुसार विभाग से अपने फील्ड कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, फायदाग्राहियों के लिए आधार नामांकन सुविधाएं उपलब्ध कराने की अपेक्षा है कि जिन्होंने अभी तक आधार के लिए नामांकन नहीं कराया है और यदि ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील जैसे आस-पास में कोई आधार नामांकन केंद्र अवस्थित नहीं है तो विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के विद्यमान रजिस्ट्रारों (जिसे इसमें इसके पश्चात यूआईडीएआई कहा गया है) के साथ समन्वय से सुविधाजनक अवस्थानों पर या विभाग स्वयं भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण रजिस्ट्रार बन कर आधार नामांकन सुविधाएं उपबंध करा सकेगा ।

परंतु उस समय तक जब तक स्कीम के अधीन व्यष्टि, फायदाग्राहियों को आधार समनुदेशित किया जाना है, ऐसे व्यष्टि को निम्नलिखित दस्तावेजों को प्रस्तुत किए जाने के अधीन रहते हुए फायदा दिया जाएगा, अर्थात्:-

(क) (।) यदि उसने नामांकन करा लिया है तो उसका आधार नामांकन पहचान स्लिप; या

(।।) पैरा 2 के उप-पैरा (ख) में यथा निर्दिष्ट अनुसार, आधार नामांकन के लिए उसके द्वारा किए गए अनुरोध की प्रति; और

(ख) निम्नलिखित कोई भी दस्तावेज-

(I) मतदाता पहचान पत्र; या

(II) स्थायी खाता संख्या (पेन) कार्ड; या

(III) पासपोर्ट; या

(IV) राशन कार्ड; या

(V) कोई सरकारी पहचान-पत्र; या

(VI) बैंक या डाकघर पासबुक फोटो सहित; या

(VII) मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) के अधीन अनुज्ञापन प्राधिकारी द्वारा जारी चालन अनुज्ञप्ति; या

(VIII) विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय, वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी पहचान-पत्र;

(IX) विभाग द्वारा यथा विनिर्दिष्ट कोई अन्य दस्तावेज

परंतु यह और कि उपरोक्त दस्तावेजों की जांच संबंधित विभाग द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशिष्ट रूप से पदाभिहित अधिकारी द्वारा की जाएगी ।

2. स्कीम के अधीन फायदाग्राहियों को सुविधाएं उपलब्ध करने के लिए, विभाग अपने फील्ड कार्यालयों एवं आंचलिक कार्यालयों तथा कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से सभी अपेक्षित प्रबंध करेगा, जिसके अंतर्गत निम्नलिखित भी हैं, अर्थात्:-

(क) इस स्कीम के अधीन सुविधाएं प्राप्त करने के लिए आधार की अपेक्षा के बारे में जागरूक बनाने के लिए व्यक्तिगत सूचना द्वारा और मीडिया के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाए और यदि उन्होंने पहले से नामांकन नहीं कराया है तो उन्हें 31 मार्च, 2017 तक उनके क्षेत्र में उपलब्ध निकटतम नामांकन केंद्रों पर आधार के लिए अपना नामांकन कराने की सलाह दी जा सके। उन्हें स्थानीय आधार नामांकन केंद्रों की सूची उपलब्ध कराई जाए।

(ख) यदि, ब्लॉक या ताल्लुक या तहसील जैसे निकटतम क्षेत्र में आधार नामांकन केंद्र की अनुपलब्धता के कारण फायदाग्राही आधार के लिए नामांकन कराने में असमर्थ हैं, तो विभाग अपने फील्ड कार्यालयों, आंचलिक कार्यालयों और कार्यान्वयन अभिकरणों के माध्यम से, सुविधाजनक अवस्थानों पर आधार के लिए नामांकन सुविधाओं का सृजन करे और फायदाग्राहियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे उनके नाम,पते, मोबाइल नंबर और अन्य ब्यौरे, जो पैरा 1 के उप-पैरा (3) के प्रथम परन्तुक में विनिर्दिष्ट हैं, देते हुए आधार के लिए नामांकन हेतु विभाग के फील्ड कार्यालयों और आंचलिक कार्यालयों द्वारा विशेष रूप से पदाभिहित प्रभारी अधिकारी या उसके कार्यान्वयन अभिकरण या उक्त प्रयोजन के लिए उपलब्ध वेब पोर्टल के माध्यम से अपने अनुरोध को रजिस्टर करवा सकते हैं।

3. यह अधिसूचना असम, मेघालय और जम्मू-कश्मीर राज्यों को छोड़कर सभी राज्यों में राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

(फा. सं. के-1/3/2016/डी.सी.एच./बजट एवं लेखा

(आलोक कुमार)
विकास आयुक्त
विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय,
वस्त्र मंत्रालय